

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-5

लखनऊ, दिनांक 16 जून, 2020

विषय:-प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राइवेट क्लीनिक में ओपीडी सेवायें प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों में ओपीडी सेवायें बंद कर दी गयी थी। इससे आम जनमान को चिकित्सकीय उपचार के सम्बन्ध में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-1157/पॉच-5-2020, दिनांक 24 मई, 2020 द्वारा प्रथम चरण में प्रदेश के समस्त जिला/संयुक्त/महिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा निजी चिकित्सालयों में आवश्यक सेवाओं सम्बन्धित ओपीडी प्रारम्भ की गयी थी।

2- उक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त द्वितीय चरण में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राइवेट क्लीनिकों की सभी प्रकार की ओपीडी सेवाओं को प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है।

3- तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओपीडी सेवायें प्रारम्भ किये जाने से चिकित्सालयों में आने वाली भीड़ के कारण कोविड-19 संक्रमण को रोकने हेतु दिशा-निर्देश निम्नवत् है:-

**1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु निर्देश:**

1. स्वास्थ्य केन्द्र पर आने वाले व्यक्तियों की इन्फारेड थर्मामीटर से स्क्रीनिंग की जाए।
2. एक रोगी के साथ मात्र एक तीमारदार को ही प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाए।
3. रोगी एवं उसके साथ आने वाले व्यक्ति द्वारा मास्क प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए।
4. स्वास्थ्य केन्द्र में आईएलआई के लक्षण यथा (जुखाम, खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ) वाले रोगियों को पृथक कक्ष में जॉच एवं उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
5. चिकित्सालय परिसर में उपरोक्त कक्ष के सम्बन्ध में दिशा सूचक चिन्ह प्रदर्शित किये जाए, जिससे आईएलआई लक्षण वाले सभी रोगी पंजीकरण काउन्टर पर न जाए तथा सम्बन्धित कक्ष में अपनी जॉच कराते हुये उपचार प्राप्त करें।
6. पंजीकरण काउन्टर पर पर्चा बनाने वाले व्यक्ति द्वारा मास्क एवं ग्लब्ज का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाए।

7. ऐसे स्वास्थ्य केन्द्रों जहाँ पर प्रतिदिन ओपीडी में आने वाले रोगियों की संख्या अधिक होती है। वहाँ एक से अधिक पंजीकरण काउण्टर स्थापित किये जाए तथा प्रत्येक दशा में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाए।
8. नॉन-कम्युनिकेबिल डिजीज जैसे सुगर, उच्च रक्तचाप आदि के रोगियों को एक माह की औषधियाँ उपलब्ध करायी जाए, जिससे रोगी को बार-बार चिकित्सालय में न आना पड़े।
9. ओपीडी रोगियों के जाँच एवं उपचार हेतु कार्यरत सभी चिकित्सकों एवं कार्मिकों द्वारा मास्क एवं ग्लब्स का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए तथा चिकित्सालय परिसर व ओपीडी कक्ष में हाथ धोने की समुचित व्यवस्था की जाए।
10. ओपीडी कक्ष के बाहर प्रतीक्षारत क्षेत्र में भी सामाजिक दूरी सम्बन्धित प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाए।

## 2. प्राइवेट क्लीनिक हेतु निर्देश :-

1. एक या दो चिकित्सक युक्त प्राइवेट क्लीनिक द्वारा ही ओपीडी सेवा प्रारम्भ की जाए।
2. यथा सम्भव रोगियों हेतु पहले से ही समय देकर ओपीडी का संचालन किया जाए।
3. ओपीडी के लिए प्रति घण्टे 04 से 05 रोगियों हेतु पहले से समय दिया जाए, जिससे अनावश्यक भीड़ से बचा जा सके।
4. कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के सम्बन्ध में सामाजिक दूरी मास्क का प्रयोग बार-बार, हाथ धोना सम्बन्धित प्रोटोकॉल का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए।
5. चिकित्सालय के चिकित्सकों/पैरामेडिकल स्टाफ को कोविड-19 संबंधित प्रोटोकॉल तथा इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल का समुचित प्रशिक्षण प्राप्त हो।
6. चिकित्सालय में मरीजों की स्क्रीनिंग (Triage) करने के लिए एक पृथक स्थल एवं सुरक्षित स्क्रीनिंग व्यवस्था स्थापित एवं क्रियाशील हो।
7. चिकित्सालय में सुरक्षात्मक उपकरण जैसे-मास्क, ग्लब्स इत्यादि समुचित मात्रा में एवं यथा आवश्यक पीपीई उपलब्ध हो।
8. भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार चिकित्सालय परिसर के बाहर एवं अन्दर के समस्त क्षेत्र का 01 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन द्वारा विसंक्रमण सुनिश्चित किया जाए।
9. बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण की गाइडलाइंस का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

## 3. सामान्य निर्देश :-

1. स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राइवेट क्लीनिक के फर्श, दीवारों, फर्नीचर, दरवाजे, हैंडल एवं अन्य सतहों का हाइपोक्लोराइट घोल से नियमित विसंक्रमण किया जाए।
2. मरीज के सहयोगी के रूप में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को अनुमति नहीं प्रदान की जाए।

